संख्या- 50/2016/1422/35-3-2016-1(41)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 जून,2016

विषय:शासनादेश संख्या-67/2015/1615/35-3-2015-1(41)/2015 दिनांक:18 दिसम्बर, 2015 मे संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-67/2015/1615/35-3-2015-1(41)/2015 दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015 मे आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के क्रमांक 7,8,10,14,15,16 एवं 17 पर अकिंत कार्य विकास खण्ड-निघासन के स्थान पर विकास खण्ड-पलिया के अन्र्तगत पढ़े जायेगें।

सन्दर्भित शासनादेश संख्या-67/2015/1615/35-3-2015-1(41) /2015 दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 50/2016/1422(1)/35-3-2016-1(41)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज / बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, खीरी ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://nde.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://nde.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://nde.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।